बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधि०सं०:–2/अ0प्र0–3–23/ 494 /पटना, दिनांक :– 2.3.22

श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया से फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड में बरतारा से टनकुप्पा पथ के निर्माण में अनियमितता के लिए विभागीय पत्रांक 2275 अनु0 दिनांक 22.06.2015 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री गुप्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 20.07.2015 के समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2377 अनु0 दिनांक 29.07.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री रामजी चौधरी, मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री उज्जवल कुमार सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–4 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2017 में श्री गुप्ता के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया। श्री गुप्ता के विरूद्ध तीन आरोप गठित किये गये। पहला आरोप पथ के प्रारंभिक भाग में डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 क्षतिग्रस्त पाये जाने तथा कालीकरण की मुटाई प्रावधानित मुटाई 20 एम0एम0 से कम 18 एम0एम0 से 20 एम0एम0 के बीच पाये जाने का है। दूसरा आरोप डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–3 की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम पाये जाने तथा कॉम्पेक्शन का अभाव पाये जाने का है। तीसरा आरोप पथ के अंतिम भाग में कालीकरण की मुटाई प्रावधानित मुटाई से कम पाये जाने एवं कुछ भाग में कालीकरण पूर्णतः समाप्त हो जाने का है। उक्त तीनों आरोपों के बचाव में श्री गुप्ता द्वारा कहा गया कि डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–3 एवं कालीकरण की मुटाई में कमी अनुज्ञेय सीमा के अंदर है। पथ की जॉच एक वर्ष 6 माह बाद किये जाने एवं पथ में सवारी गाड़ी एवं जानवरों के आवागमन से डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 क्षतिग्रस्त हो गया। जॉच दल द्वारा कॉम्पेक्शन की कोई जॉच नहीं की गयी है। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री गुप्ता के बचाव बयान से सहमति व्यक्त की है।

4. श्री गुप्ता के बचाव बयान एवं जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ की जॉच एक वर्ष 6 माह बाद की गयी है। इतने कम अवधि में पथ के प्रारंभिक भाग में डब्लू0बी0एम0 ग्रेड–2 क्षतिग्रस्त होना तथा पथ के अंतिम भाग में कुछ पथांश में कालीकरण कार्य पूर्णतः समाप्त हो जाना पथ में निम्न गुणवता का कार्य होना इंगित करता है।

5. संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री गुप्ता से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 के तहत

विभागीय पत्रांक 1351 अनु0 दिनांक 09.05.2019 द्वारा उक्त असहमति के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

6. इस बीच श्री गुप्ता दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत होने के फलस्वरूप श्री गुप्ता के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–1353 दिनांक 09.05.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

7. श्री गुप्ता से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान दिनांक 07.06.2019 की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन, ग्रामीण कार्य विभाग एवं मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग से करायी गयी। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि पथ के रिहायशी भाग में वर्षा के पानी का जमाव था जिस कारण पथ क्षतिग्रस्त था। पथ को ग्रामीणों द्वारा दो जगहों पर पानी की निकासी हेतु काट दिया गया था जिससे Metal Gr-III क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया था। पथ के एक तरफ टनकुप्पा पहाड़ अवस्थित होने के कारण पथ के अन्तिम भाग में पहाड़ का पानी पथ पर गिरते रहने से इस भाग में कालीकरण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। विभागीय जॉच दल द्वारा पथ के मध्य भाग में यत्र–तत्र WBM Gr-III की मुटाई मापी गयी है जो इस संबंध में निर्गत विभिन्न परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। जॉच दल द्वारा WBM परत के Compaction की जॉच नहीं की गयी है। फलतः Eye Estimation के आधार पर WBM में Compaction का अभाव एवं Metal का Inter Locking के संबंध में दी गयी प्रतिकूल टिप्पणी का कोई आधार/औचित्य नहीं है। जॉच प्रतिवेदन के अनुसार जॉच में कालीकरण की मुटाई पथ में 20 मि0मी0 एवं 25 मि0मी0 भी पायी गयी है इससे स्पष्ट है कि कालीकरण का कार्य प्रावधानानुसार कराया गया है।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत् आरोप से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया सम्प्रति सेवानिवृत को प्रश्नगत् आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–3–23/2007 495 /पटना, दिनांक :– 2-3-22

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रकाश गुप्ता, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पत्राचार का पता–मोहल्ला–मालगोदाम डाकघर–नवादा, जिला–नवादा, पिनकोड–805110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.22

उप सचिव